**संख्या-28/1361/12-3-2015-100(60)/2013टी.सी.-।**

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**कृषि निदेशक,**
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कृषि अनुभाग-3** **लखनऊ:: दिनांक: 20 अगस्त, 2015**

विषय:- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-गे.मो.अ./143/ने.फू.सि.मि./2015-16, दिनांक 25.5.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत रू0-271137 हजार (रू0 सत्ताइस करोड़ ग्यारह लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व कृषि निदेशक अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्राप्त केन्द्रीय सहायता की सीमा के अन्तर्गत 03 समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय किये जाने के पश्चात् द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय करने के पश्चात् तृतीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

4- प्रश्नगत योजना की भारत सरकार की गाइड लाइन में दिये गये निर्देशों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। चूॅकि यह योजना एस.सी.एस.पी. के लिए है, इसलिए योजना आयोग/भारत सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप धनराशि व्यय की जायेगी।

5- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.7.2014 में निहित शर्तो तथा शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.8.2014 के प्रस्तर-5 एवं 9 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व कृषि निदेशक द्वारा कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयेाग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में निर्गत गाइड लाइन तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-20-32/2012-एन.एफ.एस.एम.(सी.ए.-वी) , दिनांक 20.6.2014 एवं पत्रांक-20-32/2012-एन.एफ.एस.एम.(सी.ए.-वी) , दिनांक 25.7.2014 द्वारा एन.एफ.एस.एम. (राइस), एन.एफ.एस.एम. (व्हीट), एन.एफ.एस.एम. (पल्सेज) तथा एन.एफ.एस.एम. (कोर्स सीरियल्स) हेतु मात्राकृत धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा वर्ष 2014-15 हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन एवं अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

7- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

8- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़वा मिलता है।

9- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी- 1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभाथ्र्ाी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 एवं पत्र संख्या-सी.पी.एस.-1-1/2015-एन.एफ.एस.एम., दिनांक 9.7.2015 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

11- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची

http://shasanadesh.up.nic.in

विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभा ार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

13- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (के-100%/रा.-0-के.) के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

14- उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने के लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

15- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-1-506/दस-2015, दिनांक 19 अगस्त, 2015 मे ंप्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**भवदीय,**

**( इन्द्रदेव पटेल )**
विशेष सचिव।

सं**0-**1361**(1)/12-3-2015-**तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
7- अपर कृषि निदेशक (चावल), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
10- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
13- गार्ड बुक।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

**( इन्द्रदेव पटेल )**
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in